प्रेस नोट- दिनांक 29.09.2023
थाना हसनगंज ,जनपद उन्नाव।

- **आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे घटित लूट की घटना का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **अभियुक्त के कब्जे से लूटे गये 03 लाख 50 हजार रुपये, 01 अवैध तमंचा व 02 कारतूस व 01 मोबाइल बरामद**
- **सर्विलांस टीम, थाना दही पुलिस व थाना हसनगंज पुलिस टीम ने किया वांछित लुटेरे को गिरफ्तार**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सर्विलांस टीम, थाना हसनगंज पुलिस एवं थाना दही पुलिस टीम द्वारा दिनांक 26/27.09.2023 को थाना हसनगंज क्षेत्रांतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर घटित लूट की घटना के शेष वांछित अभियुक्त को कब्जे से लूट के 03 लाख 50 हजार रुपये, 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व 01 अदद मोबाइल फोन बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 27.09.2023 को प्लाइवुड व्यापारी श्री अशोक पाल पुत्र देवीप्रसाद निवासी ग्राम आसत मोहिद्दीनपुर थाना बांगरमऊ उन्नाव द्वारा थाना हसनगंज पर तहरीरी सूचना दी कि दिनांक 26.09.23 को मेरा मुनीम शोभित मिश्रा पुत्र राजेश मिश्रा निवासी कस्बा बांगरमऊ जिला उन्नाव जो अपने दोस्त सुधीस कुमार पुत्र श्रीपाल निवासी गौरड्या खुर्द आसत मोहिद्दीनपुर के साथ काम के लिए लखनऊ गया था। लखनऊ से मेरा मुनीम शोभित उपरोक्त रुपये 1498000/- लेकर एक प्राइवेट गाडी SUV UP78 DD 0501 से बांगरमऊ आ रहे थे। जिसमें पहले से ड्राइवर सहित तीन व्यक्ति थे जिन्होंने आगरा एक्सप्रेस वे टोल प्लाजा को पार करते ही हमारे मुनीम और उसके साथी से मारपीट की तथा रुपये छीन लिये और मेरे मुनीम व उसके दोस्त को उतार दिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हसनगंज पर मु0अ0सं0 304/23 धारा 394 भा0दं0वि0 बनाम उपरोक्त कार सवार तीन अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत किया गया। दिनांक 28.09.2023 को 24 घण्टे के अंदर घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण 1. बीरु सिंह चन्देल उर्फ धीरू पुत्र राजा सिंह नि0 ग्राम इटारा थाना सचेन्डी कानपुर नगर 2. निखिल अवस्थी पुत्र नरेश अवस्थी नि0 ग्राम जहानपुर थाना बिधनू जनपद कानपुर नगर 3.नवीन बाजपेयी पुत्र रजनीश बाजपेयी नि0 रसूलपुर रुरी थाना बेहटामुजावर जनपद उन्नाव को गिरफ्तार कर कब्जे से लूट के 10 लाख 50 हजार रुपये घटना में प्रयुक्त कार आदि बरामद कर जेल भेजा जा चुका है। आज दिनांक 29.09.2023 को मुकदमा उपरोक्त के शेष वांछित अभियुक्त कुलदीप सिंह पुत्र शिवबहादुर सिंह उम्र 24 वर्ष नि0 ग्राम जामू थाना बिधनू जनपद कानपुर नगर को कब्जे से लूटे गये 03 लाख 50 हजार रुपये 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व 01 अदद मोबाइल फोन बरामद कर गिरफ्तार किया गया। अवैध शस्त्र बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 309/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. कुलदीप सिंह पुत्र शिवबहादुर सिंह उम्र 24 वर्ष नि0 ग्राम जामू थाना बिधनू जनपद कानपुर नगर

बरामदगी का विवरणः-

1.लूट के कुल 03 लाख पचास हजार रुपये।

2. 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

3. 01 अदद मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली थाना हसनगंज पुलिस टीम-

1. निरीक्षक अपराध श्री सियाराम राजपूत थाना हसनगंज जनपद उन्नाव।

2. उ0नि0 श्री खुशाल प्रसाद थाना हसनगंज जनपद उन्नाव।

3. का0 कृष्णपाल थाना हसनगंज जनपद उन्नाव

4. का0 शाहे आलम थाना हसनगंज जनपद उन्नाव।

गिरफ्तार करने वाली थाना दही पुलिस टीम-

1. हे0का0 ज्ञान सिंह थाना दही जनपद उन्नाव ।

2. का0 कृष्ण प्रताप थाना हसनगंज जनपद उन्नाव ।

3. का0 अंकुर कुमार थाना हसनगंज जनपद उन्नाव ।

सर्विलांस टीम-

हे0का0 अब्दुल जब्बार

प्रेस नोट- दिनांक 29.09.2023

थाना बांगरमऊ,जनपद उन्नाव।

● मंदिर में व्यक्ति पर लाठी से हमला करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 29-09-2023 को समय करीब 10.30 बजे थाना क्षेत्र मे स्थित श्री महादेव बोधेश्वर मन्दिर मे जावेद पुत्र पप्पू निवासी मोहल्ला दरगाह कस्बा व थाना बांगमरऊ जिला उन्नाव हाथ में डंडा लेकर घुस आया। मन्दिर मे पूजा कर रहे कृष्ण कुमार तिवारी पुत्र गिरजाशंकर तिवारी नि0 संडीला रोड कस्बा व थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव के सिर पर डंडे से वार कर दिया। मौके पर मौजूद अन्य लोगों द्वारा बीच बचाव कर जावेद उपरोक्त को पकड़ कर थाना बांगरमऊ पुलिस के हवाले किया गया। थाना बांगरमऊ पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 377/2023 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1.जावेद पुत्र पप्पू निवासी मो0 दरगाह कस्बा व थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त एक अदद डंडा बरामद

प्रेस नोट- दिनांक 29.09.2023

थाना कतोवाली सदर ,जनपद उन्नाव।

- **KYC अपडेट करने के नाम पर फ्रॉड कर निकाली गई 44 हजार रुपये की धनराशि पीड़ित के खाते में करायी गयी वापस**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर अपराध के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पीड़ित के खाते से के.वाई.सी. अपडेट करने के नाम पर फ्रॉड कर निकाली गई 52 हजार रुपये की धनराशि में से 44 हजार रुपये की धनराशि थाना कोतवाली सदर साइबर हेल्पडेस्क द्वारा वापस करायी गयी।

संक्षिप्त विवरण- पीड़ित श्री दयाशंकर मिश्रा पुत्र रामेश्वर मिश्रा निवासी आदर्श नगर थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव ने दिनाँक 13.09.2023 को कोतवाली सदर जनपद उन्नाव में एक प्रार्थना पत्र दिया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा के.वाई.सी. अपडेट करने के लिये फोन कर मेरे खाते से 52000 /- रूपये फ्रॉड कर निकाल लिये है । प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली की साइबर क्राइम की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ित के खाते से फ्रॉड कर निकाली गयी धनराशि 52000/-रुपये मे से 44000/- रुपये वापस कराये गये ।

थाना कोतवाली सदर पुलिस टीम-

1.प्र0नि0 श्री अश्वनी कुमार मिश्र, थाना-कोतवाली सदर,जनपद-उन्नाव।
2. अपराध निरीक्षक श्री सुशील कुमार, थाना-कोतवाली सदर,जनपद-उन्नाव।
3.आरक्षी मोनू यादव, साइबर सेल, थाना-कोतवाली सदर,जनपद-उन्नाव।